तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
1/5/25	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी ने राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 31/07/25 को पेश।
31/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप०। इजराय पालना प्राप्त हुई। जो शामिल फाईल की जाती है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से संख्या से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
111 / 2022	12.07.2022	2.08.2024

पीठासीन अधिकारी– नयन गौतम (आई.ए.एस.)

उनवान

1– गोपाल लाल उर्फ रामगोपाल आत्मज जगन्नाथ जाति बेरवा निवासी हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 (वादी)

बनाम

1– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 (प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री मायाराम स्वामी एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से – तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,इन्द्राज दुरूस्ती

संशोधित निर्णय

वादी ने प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी का प्रस्तुत कर पारित निर्णय दिनाक 27.01.2023 मे संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी में ग्राम हनोतिया की भूमि के खसरा नम्बर सहवन से टाईपिंग मे छूट गया जिसे संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर संशोधित निर्णय किया जाना उचित है।

वादी की ओर से उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1– यह कि ग्राम बनेठिया भू0अ0क्षेत्र बूढादीत तहसील दीगोद में खाता नं0 169 नया पुराना नं0 151 पर खसरा नम्बर 582 की 1.07 हेक्टर भूमि वादी व अन्य सहखातेदार के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा है। नकल जमाबन्दी पेश है।

2– यह कि ग्राम हनोतिया भू0अ0क्षेत्र बूढादीत तहसील दीगोद मे खाता न0 186 नया पुराना नं0 1 पर खसरा नम्बर 64 की 0.40 हेक्टर भूमि वादी के खाते में दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी पेश है।

3– यह कि उपरोक्त भूमि मे ग्राम बनेठिया में वादी का बोलता नाम गोपाल तथा ग्राम हनोतिया में वादी का नाम गोपाल लाल दर्ज कर दिया है जो गलत है जब कि वादी का नाम रामगोपाल है।

4– यह कि वादी का वास्तविक नाम राम गोपाल है तथा घर का बोलता नाम गोपाललाल है इसी कारण राजस्व रिकार्ड मे सहवन से वादी का बोलता नाम गोपाल व गोपाललाल दर्ज हो गया। वादी के आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, जनआधार कार्ड राशन कार्ड के दस्तावेजात में वादी का नाम रामगोपाल दर्ज है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गोपाल व गोपाल लाल गलत दर्ज होने के कारण वादी को काफी

फोटो प्रति प्रमाणित
सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

परेशानी आती है। इस कारण उक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गोपाल व गोपाल लाल के स्थान पर रामगोपाल दर्ज किया जाना आवश्यक है।

5– यह कि इस सम्बन्ध में वादी ने उसके नाम को दुरूस्त करने हेतु प्रतिवादी म दिनांक 5.07.2022 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया और मना कर दिया। जिस कारण यह वाद वादी के लिये प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

6– यह कि वाद कारण प्रतिवादी के अधिकारियों व कर्मचारियों ने वादी का नाम गलत दर्ज करने पर, तथा दिनांक 5.07.2022 को प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त नही करने पर व दुरूस्त करने से इन्कार करने पर पैदा हुआ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्व इस आशय की सादर निर्णय एवं डिक्री पारित फरमायी जावे कि:–

1– कि ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 64 की 0.40 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गोपाल के स्थान पर गोपाल उर्फ रामगोपाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2– कि ग्राम बनेठिया तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 582 की 1.07 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम गोपाल लाल के स्थान पर गोपाल लाल उर्फ रामगोपाल दर्ज किया जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न है:–

1– नकल जमाबन्दी ग्राम बनेठिया सम्वत 2075–78

3– नकल जमाबन्दी ग्राम हनोतिया सम्वत 2073–2076

4– नकल छाया प्रति जनआधार कार्ड,आधार कार्ड,बैंक डायरी,राशन कार्ड,वोटर आईडी

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार दीगोद की ओर से जवाब सरकार में ग्राम हनोतिया जमाबंदी सम्वत 2073–2076 में खाता सं0 186 के खसरा नम्बर 64 रकबा 0.40 हेक्टर में वादी का नाम गोपाल पुत्र जगन्नाथ दर्ज तथा ग्राम बनेठिया की जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता सं0 169 के खसरा नम्बर 582 रकबा 1.07 हेक्टर भूमि में वादी का नाम गोपाल लाल पुत्र जगन्नाथ दर्ज है। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम वासियान एवं दस्तावेजों के अनुसार गोपाल लाल व रामगोपाल दोनों नाम के एक ही व्यक्ति है। तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रस्तुत जवाब में वादी का नाम दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की है। वादी की ओर से साक्ष्य में रामनिवास का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है। पत्रावली को बहस पर नियत की गयी।

वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड अन्य संलग्न दस्तावेज एवं जवाब सरकार तथा बहस अधिवक्ता का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया। वादी के सहखातेदारी भूमि ग्राम बनेठिया में वादी का नाम गोपाल पुत्र जगन्नाथ तथा ग्राम हनोतिया में वादी का नाम गोपाल लाल पुत्र जगन्नाथ के स्थान

फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

पर रामगोपाल पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा हिस्सा बदस्तूर दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम हनोतिया जमाबदी मे खाता सं0 186 के खसरा नम्बर 64 रकबा 0.40 हेक्टर में वादी का नाम गोपाल पुत्र जगन्नाथ दर्ज तथा ग्राम बनेठिया की जमाबन्दी के खाता सं0 169 के खसरा नम्बर 582 रकबा 1.07 हेक्टर भूमि में वादी का नाम गोपाल लाल पुत्र जगन्नाथ दर्ज है। अर्थात दोनों गांवों के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामगोपाल पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा हिस्सा बदस्तूर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पारित निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

संशोधित निर्णय आज दिनांक 2.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद

फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

मूल वाद में संशोधित डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी— नयन गौतम (आई.ए.एस.)

उनवान

1— गोपाल लाल उर्फ रामगोपाल आत्मज जगन्नाथ जाति बेरवा निवासी हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1— राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से — श्री मायाराम स्वामी एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से — तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,इन्द्राज दुरूस्ती

मिसल नं 111/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल क़तई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि — : वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम हनोतिया जमाबंदी में खाता सं0 186 के खसरा नम्बर 64 रकबा 0.40 हेक्टर में वादी का नाम गोपाल पुत्र जगन्नाथ दर्ज तथा ग्राम बनेठिया की जमाबन्दी के खाता स0 169 के खसरा नम्बर 582 रकबा 1.07 हेक्टर भूमि में वादी का नाम गोपाल लाल पुत्र जगन्नाथ दर्ज है। अर्थात दोनों गांवों के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामगोपाल पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा हिस्सा बदस्तूर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पारित निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार संशोधित डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 2.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

सहायक कलक्टर
दीगोद

फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)